

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)
(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आप.प्रकरण क्र. 536 / 2014

संस्थित दि.: 17 / 06 / 2014

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र गढ़ी,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोगी

विरुद्ध

सोनूसिंह पिता अहिरासिंह, उम्र 28 साल, जाति गोंड,
निवासी हीरापुर थाना गढ़ी, जिला बालाघाट (म.प्र.) — — — — — आरोपी

— :: निर्णय :: —

(आज दिनांक-02/02/2015 को घोषित किया गया)

(01) आरोपी सोनूसिंह पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 457, 380 का आरोप है कि आरोपी ने दिनांक 17-18.04.2014 की दरम्यानी रात्रि स्थान ग्राम गढ़ी बाजार चौक थाना गढ़ी के अन्तर्गत फरियादी प्रदीप राजपूत की मोबाईल दुकान जो सम्पत्ति की अभिरक्षा के रूप में उपयोग में आती है, में सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्यास्त के पूर्व कारावास से दण्डनीय अपराध चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रौ गृह भेदन कारित किया एवं 10-12 नग चायना मोबाईल सेट कीमती 6000/- रुपये, मेमोरी कार्ड, मोबाईल रिपेयरिंग किट को फरियादी के कब्जे से हटाकर चोरी कारित की।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी प्रदीप राजपूत ने दिनांक 18.04.2014 को आरक्षी केन्द्र गढ़ी में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह दिनांक 17.04.2014 को रात्रि के समय दुकान बंद करके पीछे उसके घर में जाकर रात्रि के करीब 11:00 सो गया था। सुबह उठकर देखा तो दुकान से लगभग 10-12 नग चायना मोबाईल सेट कीमती करीब 6000/- रुपये एवं मेमोरी

कार्ड तथा मोबाईल रिपेयरिंग किट किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चुरा लिया गया। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरक्षी केन्द्र गढ़ी में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 32/14 अन्तर्गत धारा 457, 380 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी सोनूसिंह से पूछताछ की और सोनूसिंह द्वारा चोरी कारित करना पाये जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी सोनूसिंह के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 457, 380 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(03) आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 457, 380 का आरोप-पत्र विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा।

(04) आरोपी का बचाव है कि वह निर्दोष है, पुलिस ने फरियादी से मिलकर उसके विरुद्ध झूठा प्रकरण तैयार कर एवं झूठी विवेचना कर उसे झूठा फंसाया है।

(05) आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

(अ) क्या आरोपी ने दिनांक 17-18.04.2014 की दरम्यानी रात्रि स्थान ग्राम गढ़ी बाजार चौक थाना गढ़ी के अन्तर्गत फरियादी प्रदीप राजपूत की मोबाईल दुकान जो सम्पत्ति की अभिरक्षा के रूप में उपयोग में आती है, में सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्यास्त के पूर्व कारावास से दण्डनीय अपराध चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रौ गृह भेदन कारित किया ?

(ब) क्या आरोपी ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर 10, 12 नग चायना मोबाईल सेट कीमती 6000/- रुपये, मेमोरी कार्ड, मोबाईल रिपेयरिंग किट को फरियादी के कब्जे से हटाकर चोरी कारित की ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 'अ' एवं 'ब' :-

(06) प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य को दृष्टिगत् रखते हुए तथा साक्षियों की साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, सुविधा की दृष्टि से विचारणीय बिन्दु 'अ' एवं 'ब' का एक साथ विचार किया जा रहा है।

(07) अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता आशीष राजपूत (अ.सा. 4) का स्पष्ट कहना है कि उसने दिनांक 18.04.2014 को थाना गढ़ी में फरियादी प्रदीप राजपूत की सूचना पर अपराध क्रमांक 32/14 अन्तर्गत धारा 457, 380 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट आरोपी सोनूसिंह गोंड के विरुद्ध 10, 12 चायना मोबाईल सेट, मेमोरी कार्ड, मोबाईल रिपेयरिंग किट के संबंध में लेखबद्ध की थी, जो प्रदर्श पी-02 है। घटनास्थल पर जाकर प्रदीप राजपूत की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-03 तैयार किया था। घटनास्थल से एक मोबाईल कम्पनी मेक्स का खाली डिब्बा, एक नीले रंग का ब्ल्यूबेरी कम्पनी का खाली डिब्बा जिस पर आई.एम.ए.आई. का नम्बर कम्पनी की पर्ची चिपकी हुई थी जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-01 तैयार किया था। फरियादी प्रदीप राजपूत के बयान उसके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। दिनांक 19.04.2014 को आरोपी सोनूसिंह गोंड से एक काले रंग के मेक्स कम्पनी का मोबाईल फोन जिस पर आई.एम.ए.आई. जो पूर्व में जप्ती के अनुसार खाली डिब्बे मेक्स कम्पनी वाले से मिलता था गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-04 तैयार किया था। आरोपी सोनूसिंह के बताये अनुसार मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-05 लेखबद्ध किया था। गवाहों के समक्ष आरोपी के बताये अनुसार तलाशी पंचनामा तैयार किया था। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-07 तैयार किया था। दिनांक 19.04.2014 को ही प्रदीप बैस उर्फ गुड्डू एवं आशोक अग्निहोत्री के बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(08) अभियोजन साक्षी/फरियादी प्रदीप राजपूत (अ.सा. 2) का भी स्पष्ट कहना है कि घटना दिनांक 18.04.2014 की रात्रि के समय ग्राम गढ़ी बाजार चौक उसकी मोबाईल दुकान की है। उसने सुबह उठकर देखा तो मोबाईल दुकान की गैलेरी खुली हुई थी। उसने अंदर जाकर देखा तो कुछ नगदी रकम और कुछ मोबाईल चोरी हो गये थे। घटना की रिपोर्ट उसने थाना गढ़ी में की थी, जो प्रदर्श पी-02 है। पुलिस ने घटनास्थल पर आकर उसके समक्ष घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-03 तैयार

किया था तथा चोरी हुये मोबाईल के खाली डिब्बे भी जप्त किये थे। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। जप्त किये खाली मोबाईल के डिब्बे मेक्स एवं स्पाईस कम्पनी के थे।

(09) अभियोजन साक्षी प्रदीप बैस (अ.सा. 3) का भी स्पष्ट कहना है कि घटना 19 अप्रैल 2014 की है। वह थाना गढ़ी में प्रदीप राजपूत के साथ चोरी के संबंध में ग्राम हीरापुर में गया था। आरोपी सोनूसिंह ने चोरी हुये मोबाईल को उसके पास से दिये थे। पुलिस ने मोबाईल के डिब्बे से नम्बर मिलाकर मेक्स कम्पनी के मोबाईल जप्त किये। पुलिस ने उसके समक्ष मोबाईल जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-04 तैयार किया था। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी से पूछताछ करने पर आरोपी ने मोबाईल चोरी करना मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-05 में बताया था। पुलिस ने आरोपी को उसके सामने गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-07 तैयार किया था।

(10) अभियोजन साक्षी उमाशंकर (अ.सा. 1) का भी स्पष्ट कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग महिना पुरानी है। फरियादी प्रदीप राजपूत के मोबाईल दुकान में चोरी हो गई थी। उसके सामने पुलिस ने चोरी गये मोबाईल के खाली डिब्बे जो मेक्स कम्पनी के थे जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-01 तैयार किया था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया है कि पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल से मोबाईल के दो खाली डिब्बे जिसमें से एक मेक्स कम्पनी का एवं एक ब्ल्यूबेरी कम्पनी का तथा माडल में आई.एम.ए.आई. कम्पनी की पर्ची चिपकी हुई थी जप्त किया था।

(11) अभियोजन साक्षी अशोक अग्निहोत्री (अ.सा. 6) का भी स्पष्ट कहना है कि घटना वर्ष 2014 की अप्रैल माह की है। आरोपी सोनूसिंह के घर में राजपूत एवं प्रदीप बैस के साथ में गया था। आरोपी के घर पर मेक्स कम्पनी का मोबाईल जप्त किये थे जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-04 है। आरोपी को गिरफ्तार कर थाने में लाये थे और गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-07 तैयार किया था। उसके समक्ष आरोपी सोनूसिंह से पूछताछ कर मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-05 लिये थे। पुलिस ने आरोपी के घर की तलाशी संबंधी पंचनामा बनाया था, जो प्रदर्श पी-08 है। पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

(12) अभियोजन साक्षी अरुणेश उर्फ अरुण (अ.सा. 5) का भी स्पष्ट कहना है कि घटना दिनांक को मेक्स कम्पनी के खाली डिब्बे एवं ब्ल्यूबेरी का डिब्बा पुलिस ने उसके समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-01 तैयार किया था।

(13) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता का बचाव है कि फरियादी ने पुलिस से मिलकर आरोपी के विरुद्ध झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कराया है और असत्य कथन किये हैं। पुलिस ने भी आरोपी के विरुद्ध झूठी विवेचना की है और विवेचनाकर्ता ने भी असत्य कथन किये हैं। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों में भी विरोधाभास है। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाये।

(14) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।

(15) अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता आशीष राजपूत (अ.सा. 4) का भी स्पष्ट कहना है कि उसने दिनांक 18.04.2014 को थाना गढ़ी में फरियादी प्रदीप राजपूत की सूचना पर अपराध क्रमांक 32/14 अन्तर्गत धारा 457, 380 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट आरोपी सोनूसिंह गोंड के विरुद्ध 10, 12 चायना मोबाईल सेट, मेमोरी कार्ड, मोबाईल रिपेयरिंग किट के संबंध में लेखबद्ध की थी, जो प्रदर्श पी-02 है। घटनास्थल पर जाकर प्रदीप राजपूत की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-03 तैयार किया था। घटनास्थल से एक मोबाईल कम्पनी मेक्स का खाली डिब्बा, एक नीले रंग का ब्ल्यूबेरी कम्पनी का खाली डिब्बा जिस पर आई.एम.ए.आई. का नम्बर कम्पनी की पर्ची चिपकी हुई थी जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-01 तैयार किया था। फरियादी प्रदीप राजपूत के बयान उसके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। दिनांक 19.04.2014 को आरोपी सोनूसिंह गोंड से एक काले रंग के मेक्स कम्पनी का मोबाईल फोन जिस पर आई.एम.ए.आई. जो पूर्व में जप्ती के अनुसार खाली डिब्बे मेक्स कम्पनी वाले से मिलता था गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-04 तैयार किया था। आरोपी सोनूसिंह के बताये अनुसार मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-05 लेखबद्ध किया था। गवाहों के समक्ष आरोपी के बताये अनुसार तलाशी पंचनामा तैयार किया था। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-07 तैयार किया था। दिनांक 19.04.2014 को ही प्रदीप बैस उर्फ गुड्डू एवं आशोक अग्निहोत्री के बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। साक्षी के कथनों कथनों का

प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है।

(16) विवेचनाकर्ता के कथनों का समर्थन करते हुए फरियादी प्रदीप राजपूत (अ.सा. 2) का भी स्पष्ट कहना है कि घटना दिनांक 18.04.2014 की रात्रि के समय ग्राम गढ़ी बाजार चौक उसकी मोबाईल दुकान की है। उसने सुबह उठकर देखा तो मोबाईल दुकान की गैलेरी खुली हुई थी। उसने अंदर जाकर देखा तो कुछ नगदी रकम और कुछ मोबाईल चोरी हो गये थे। घटना की रिपोर्ट उसने थाना गढ़ी में की थी, जो प्रदर्श पी-02 है। पुलिस ने घटनास्थल पर आकर उसके समक्ष घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-03 तैयार किया था तथा चोरी हुये मोबाईल के खाली डिब्बे भी जप्त किये थे। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। जप्त किये खाली मोबाईल के डिब्बे मेक्स एवं स्पाईस कम्पनी के थे। साक्षी के कथनों कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(17) अभियोजन साक्षी प्रदीप बैस (अ.सा. 3) का भी स्पष्ट कहना है कि घटना 19 अप्रैल 2014 की है। वह थाना गढ़ी में प्रदीप राजपूत के साथ चोरी के संबंध में ग्राम हीरापुर में गया था। आरोपी सोनूसिंह ने चोरी हुये मोबाईल को उसके पास से दिये थे। पुलिस ने मोबाईल के डिब्बे से नम्बर मिलाकर मेक्स कम्पनी के मोबाईल जप्त किये। पुलिस ने उसके समक्ष मोबाईल जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-04 तैयार किया था। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी से पूछताछ करने पर आरोपी ने मोबाईल चोरी करना मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-05 में बताया था। पुलिस ने आरोपी को उसके सामने गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-07 तैयार किया था। साक्षी के कथनों कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(18) अभियोजन साक्षी उमाशंकर (अ.सा. 1) का भी स्पष्ट कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग महिना पुरानी है। फरियादी प्रदीप राजपूत के मोबाईल दुकान में चोरी हो गई थी। उसके सामने पुलिस ने चोरी गये मोबाईल के खाली डिब्बे जो मेक्स कम्पनी के थे जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-01 तैयार किया था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया है कि पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल से मोबाईल के दो खाली डिब्बे जिसमें से एक मेक्स कम्पनी का

एवं एक ब्ल्यूबेरी कम्पनी का तथा माडल में आई.एम.ए.आई. कम्पनी की पर्ची चिपकी हुई थी जप्त किया था। साक्षी के कथनों कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(19) अभियोजन साक्षी अशोक अग्निहोत्री (अ.सा. 6) का स्पष्ट कहना है कि घटना वर्ष 2014 की अप्रैल माह की है। आरोपी सोनूसिंह के घर में राजपूत एवं प्रदीप बैस के साथ में गया था। आरोपी के घर पर मेक्स कम्पनी का मोबाईल जप्त किये थे जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-04 है। आरोपी को गिरफ्तार कर थाने में लाये थे और गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-07 तैयार किया था। उसके समक्ष आरोपी सोनूसिंह से पूछताछ कर मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-05 लिये थे। पुलिस ने आरोपी के घर की तलाशी संबंधी पंचनामा बनाया था, जो प्रदर्श पी-08 है। पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। साक्षी के कथनों कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(20) अभियोजन साक्षी अरुणेश उर्फ अरुण (अ.सा. 5) का भी स्पष्ट कहना है कि घटना दिनांक को मेक्स कम्पनी के खाली डिब्बे एवं ब्ल्यूबेरी का डिब्बा पुलिस ने उसके समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-01 तैयार किया था। साक्षी के कथनों कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(21) अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी विवेचनाकर्ता आशीष राजपूत (अ.सा. 4) ने स्पष्ट कथन किये हैं कि उसने दिनांक 18.04.2014 को थाना गढ़ी में फरियादी प्रदीप राजपूत की सूचना पर अपराध क्रमांक 32/14 अन्तर्गत धारा 457, 380 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट आरोपी सोनूसिंह गोंड के विरुद्ध 10, 12 चायना मोबाईल सेट, मेमोरी कार्ड, मोबाईल रिपेयरिंग किट के संबंध में लेखबद्ध की थी, जो प्रदर्श पी-02 है। घटनास्थल पर जाकर प्रदीप राजपूत की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-03 तैयार किया था। घटनास्थल से एक मोबाईल कम्पनी मेक्स का खाली डिब्बा, एक नीले रंग का ब्ल्यूबेरी कम्पनी का खाली डिब्बा जिस पर आई.एम.ए.आई. का नम्बर कम्पनी की पर्ची चिपकी हुई थी जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-01 तैयार किया था। प्रदीप राजपूत के बयान उसके बताये अनुसार लेखबद्ध किये

थे। दिनांक 19.04.2014 को आरोपी सोनूसिंह गोंड से एक काले रंग के मेक्स कम्पनी का मोबाईल फोन जिस पर आई.एम.ए.आई जो पूर्व में जप्ती के अनुसार खाली डिब्बे मेक्स कम्पनी वाले से मिलता था गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-04 तैयार किया था। आरोपी सोनूसिंह के बताये अनुसार मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-05 लेखबद्ध किया था। गवाहों के समक्ष आरोपी के बताये अनुसार तलाशी पंचनामा तैयार किया था। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-07 तैयार किया था। दिनांक 19.04.2014 को ही प्रदीप बैस उर्फ गुड्डू एवं आशोक अग्निहोत्री के बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। विवेचनाकर्ता के कथनों का समर्थन फरियादी एवं जप्ती व गिरफ्तारी के साक्षियों ने भी किया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत इन साक्षियों के कथनों में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ जिससे अभियोजन द्वारा प्रस्तुत इन साक्षियों के कथनों पर अविश्वास किया जाये और न ही ऐसा कोई गम्भीर विरोधाभास आया है जिससे अभियोजन की ओर से प्रस्तुत इन साक्षियों के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(22) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता का तर्क है कि फरियादी ने पुलिस से मिलकर झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी को असत्य कथन कर झूठा फंसाया है। किन्तु आरोपी के अधिवक्ता ने ऐसा कोई दस्तावेज एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि आरोपी को पुलिस ने फरियादी के कहने से झूठा फंसाया है।

(23) उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि आरोपी सोनूसिंह ने दिनांक 17-18.04.2014 की दरम्यानी रात्रि स्थान ग्राम गढ़ी बाजार चौक थाना गढ़ी के अन्तर्गत फरियादी प्रदीप राजपूत की मोबाईल दुकान जो सम्पत्ति की अभिरक्षा के रूप में उपयोग में आती है, में सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्यास्त के पूर्व कारावास से दण्डनीय अपराध चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रौ गृह भेदन कारित किया एवं 10-12 नग चायना मोबाईल सेट कीमती 6000/- रुपये, मेमोरी कार्ड, मोबाईल रिपेयरिंग किट को फरियादी के कब्जे से हटाकर चोरी कारित की।

(24) परिणाम स्वरूप आरोपी सोनूसिंह को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 457, 380 के अन्तर्गत दोषसिद्ध पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

(25) दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने के लिए निर्णय कुछ समय के लिए स्थगित

किया जाता है।

(डी.एस.मण्डलोई)

न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

पुनश्च :-

(26) दण्ड के प्रश्न पर आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता को सुना गया।

(27) आरोपी सोनूसिंह के अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि आरोपी का यह प्रथम अपराध है। आरोपी की पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी अभिलेख पर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। आरोपी नवयुवक एवं मजदूर पेशा व्यक्ति है। अतः उसे कम से कम अर्धदण्ड एवं सजा से दण्डित किया जावे।

(28) आरोपी सोनूसिंह के अधिवक्ता के तर्क पर विचार किया गया।

(29) प्रकरण का अवलोकन किया गया।

(30) आरोपी सोनूसिंह की पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी अभिलेख पर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। आरोपी नवयुवक एवं मजदूर पेशा व्यक्ति होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। आरोपी सोनूसिंह द्वारा कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी सोनूसिंह को कम से कम अर्धदण्ड एवं सजा से दण्डित करना उचित नहीं पाता हूँ। आरोपी सोनूसिंह द्वारा कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी सोनूसिंह को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 457 के आरोप में दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 500/-रुपये के अर्धदण्ड तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 380 के आरोप में दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 500/-रुपये के अर्धदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्धदण्ड की राशि अदा न करने पर आरोपी सोनूसिंह को एक-एक माह का साधारण कारावास की सजा पृथक से भुगताई जावे। आरोपी सोनूसिंह को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 457, 380 के आरोप में दी गई दो-दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा एक साथ एक साथ भुगताई जावे।

(31) आरोपी सोनूसिंह द्वारा दिनांक 19.04.2014 से आज दिनांक 02.02.2015 तक न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि को कारावास की सजा में मुजरा किया

जावे एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के प्रावधानों के अनुरूप निरोध की अवधि का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

(32) प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति अपील अवधि पश्चात् उसके पंजीकृत स्वामी को विधिवत् वापस की जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जाये।

(33) निर्णय की एक प्रति आरोपी सोनूसिंह को निःशुल्क दी जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित
किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमा